आर.के.सेठी और अन्य आदि

बनाम

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

28 जनवरी, 1997

[एस.सी. अग्रवाल और फैजानुद्दीन जे.जे.]

सेवा कानूनः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959-धारा 32 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (सेवा में नियुक्ति के नियम और शर्तें) विनियमन 1975-खंड एच(iii), बी(iii)(बी), तेल और प्राकृतिक गैस आयोग-मिशन भर्ती और पदोन्नति विनियमन, 1980 और कार्यकारी निर्देश दिनांक 25 अप्रैल, 1980-पैरा 5(iii),(viii)-टेलेक्स ऑपरेटरों के सहायक ग्रेड-II (एजी II) के संवर्ग के साथ विलय के परिणामस्वरूप परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण- टेलेक्स ऑपरेटरो को एजी II के नीचे रखा गया-लेकिन उन्हें 12 और 18 साल की नीति के तहत एजी-1 और फिर अधीक्षक के रूप में प्रमोशन का लाभ दिया गया, एजी-II के अधिकारियों को समान लाभ दिया गया- आदेश मनमाना और अनुचित नहीं- सेवा न्यायशास्त्र के नीचे दिये गये नियम के अनुसार- टेलेक्स ऑपरेटरों की वरिष्ठता, विनियम 1975 के खंड एच(iii) के प्रावधानों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, न कि खंड बी(iii)(बी) के तहत - पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारी एजी II को इस तरह

पदोन्नत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस क्षेत्र के टेलेक्स ऑपरेटरों ने इस तरह की पदोन्नति को स्वीकार नहीं किया था- आयोग उन्हें केवल इसलिए पदोन्नत करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अन्य दो क्षेत्रों के एजी-II कर्मचारियों को इस तरह पदोन्नत किया गया था- आयोग द्वारा उठाये गए कदम कानूनन अनुमत है- कानून में एजी II को क्षेत्रीय से केन्द्रीय संवर्ग में परिवर्तित करने और पदोन्नति के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों की एक समेकित सूची तैयार करने का उच्च न्यायालय का निर्देश- न्यायोचित नहीं- आयोग का निर्णय, मनमानी के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में भर्ती और पदोन्नति एक निश्चित स्तर तक क्षेत्रीय आधार पर होती है और उसके बाद केन्द्रीकृत होती है। व्यक्तिगत और प्रशासनिक अनुशासन में सहायक ग्रेड-III, सहायक ग्रेड-II और सहायक ग्रेड-I के पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति क्षेत्रीय आधार पर की जाती है और अधीक्षक और उससे ऊपर के उच्च पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति केन्द्रीकृत आधार पर की जाती है।

कार्यकारी निर्देश दिनांक 25 अप्रैल, 1980 के द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में टेलेक्स ऑपरेटरों का विलय कर दिया गया और सहायक ग्रेड-II के रूप में पुनः नामित किया गया। विलय के परिणामस्वरूप टेलेक्स ऑपरेटरों को प्रत्येक क्षेत्र में सहायक ग्रेड-II

कर्मचारियों के नीचे रखा गया। लेकिन उन्हें 12 और 18 साल की वार्षिक नीतियों के तहत पदोन्नति का लाभ दिया गया। 12 वर्षीय नीति के आधार पर केन्द्रीय और मुख्यालय क्षेत्रों में टेलेक्स ऑपरेटरों को दिनांक 17 मई, 1980 से सहायक ग्रेड-I के रूप में पदोन्नत किया गया था और 18 साल की वार्षिक नीति के आधार पर उन्हें दिनांक 01 अप्रैल, 1982 से अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। इन दोनों क्षेत्रों में नियमित कर्मचारियों को भी यही लाभ दिया गया और इस प्रकार उन्हें दिनांक 02 फरवरी, 1984 के आदेश द्वारा पदोन्नत भी किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र के कर्मचारियों को इस प्रकार पदोन्नत नहीं किया जा सका, क्योंकि इस क्षेत्र में टेलेक्स ऑपरेटरों ने इस तरह की पदोन्नति स्वीकार नहीं की थी। पश्चिमी क्षेत्र के कर्मचारियों ने दिनांक 02 फरवरी, 1984 के पदोन्नति के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और अन्य दो क्षेत्रों की पदोन्नति के साथ पूर्वव्यापी पदोन्नति की मांग की। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार की और रिट याचिका में बनाए गए पक्षकार प्रतिवादीयों की पदोन्नति रद्द कर दी और सभी क्षेत्रों की समेकित सूची तैयार होने तक आगे की पदोन्नति पर भी रोक लगा दी। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रभावित कर्मचारियों और आयोग द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई। रिट याचिका मुख्यालय क्षेत्र के दो प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर की गई जिनकी पदोन्नति उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रद्द कर दी गई थी।

इस न्यायालय ने अपील और रिट याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1. दिनांक 25 अप्रैल 1980 के कार्यकारी निर्देश द्वारा टेलेक्स ऑपरेटरों के संवर्ग को सहायक ग्रेड-II के संवर्ग में विलय के समय टेलेक्स ऑपरेटरों को सहायक ग्रेड-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों के नीचे रखा गया। विलय से पहले कम वेतनमान वाले टेलेक्स ऑपरेटरों को उच्च वेतनमान वाले नियमित सहायक ग्रेड-II कर्मचारियों की सेवा के बराबर नहीं किया जा सकता था इसलिए, उन्हें विलयन पर सहायक ग्रेड-II संवर्ग के नियमित कर्मचारियों से कनिष्ठ रखा गया था। [628-डी,बी]

1.2. सहायक ग्रेड- II के संवर्ग में टेलेक्स ऑपरेटरों की वरिष्ठता दिनांक 25 अप्रैल, 1980 के कार्यकारी निर्देश के पैराग्राफ- 1(viii) में निहित प्रावधान, जो दो श्रेणियों के विलय के लिए पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के सिद्धांतों को निर्धारित करती है, के द्वारा शासित होगी। इन प्रावधानों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि अगले उच्च स्तर पर पदोन्नति के उद्देश्य से, पदोन्नति के लिए विचार किए गए कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता सेवा के आधार पर तय की जायेगी। संबंधित वेतनमान में उच्चतर पूर्ववर्ती वेतनमान वाले लोगों को, निचले पूर्ववर्ती वेतनमान वाले लोगों से वरिष्ठ माना जाता है। यह सिद्धांत विनियम 1975 के विनयम 19 के तहत निर्धारित वरिष्ठता के सिद्धांतो के खंड एच(ii) में निर्धारित सिद्धांत के

अनुरूप है। यह प्रावधान कर्मचारियों को उस संवर्ग में समावेशन करने से संबंधित है जिसमें उन्हें अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया और यह प्रावधान है कि उनकी वरिष्ठता की गणना केवल उस संवर्ग में उनके स्थानांतरण की तारीख से की जाएगी। टेलेक्स ऑपरेटरों के संवर्ग का विलय, टेलेक्स ऑपरेटरों को सहायक ग्रेड-II के संवर्ग में स्थानांतरित करने और उक्त संवर्ग में उनके समावेश के द्वारा किया गया था इसलिए, उनकी वरिष्ठता खंड एच(iii) के अनुसार निर्धारित की जानी होगी। [627-ई-एफ]

2. आयोग द्वारा सहायक ग्रेड-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों को पदोन्नत करना उचित था, जबकि कनिष्ठ टेलेक्स ऑपरेटरों को पदोन्नत किया गया था। सेवा न्याय शास्त्र में अगला नियम यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को उसके वरिष्ठ पर विचार किए बिना पदोन्नत किया जाता है तो वरिष्ठ कर्मचारी उस तारीख से ऐसी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा कर सकता है जिस दिन कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया था। सहायक ग्रेड-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-I के रूप में पदोन्नति का लाभ देने में आयोग की कार्यवाही उस तारीख से प्रभावी थी जब टेलेक्स ऑपरेटरों को 12 साल की नीति के आधार पर पदोन्नत किया गया था और सहायक ग्रेड-I से आगे पदोन्नति की गई थी। इसलिए, 18 साल की नीति के तहत अधीक्षक

को इस सिद्धांत के अनुरूप होने के कारण इसे मनमाना और अनुचित नहीं माना जा सकता। [628-ई]

3. पश्चिमी क्षेत्र में सहायक ग्रेड-II संवर्ग में नियमित कर्मचारी, सहायक ग्रेड-I के रूप में पदोन्नति का दावा कर सकते हैं और सहायक ग्रेड-I से अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का दावा तभी कर सकते हैं, जब टेलेक्स ऑपरेटर दिनांक 01 अप्रैल, 1982 से पहले की तारीख से कनिष्ठ हो और उन्हें उक्त तारीख से पहले ही पदोन्नत किया जा चुका हो। चूंकि पश्चिमी क्षेत्र में सहायक ग्रेड-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों के किसी भी टेलेक्स ऑपरेटर कनिष्ठ को दिनांक 01 अप्रैल, 1982 से पहले की तारीख से पदोन्नत नहीं किया गया था इसलिये, उस क्षेत्र के सहायक ग्रेड-II कर्मचारी पहले की तारीख से पदोन्नति के अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। [630-सी-ई]

4. उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देने में गलती की है कि सहायक ग्रेड-II संवर्ग को क्षेत्रीय संवर्ग से केन्द्रीकृत संवर्ग में परिवर्तित किया जाना चाहिए और सभी क्षेत्रों की एक समेकित सूची तैयार की जानी चाहिए और उसी के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए। यह आयोग को तय करना है कि प्रशासन में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सेवाओं का कैसे आयोजन करना है। आयोग ने निर्णय लिया कि क्षेत्रीय स्तर पर सहायक ग्रेड-I तक के संवर्ग बनाये रखे जाये। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है

कि आयोग का निर्धारित निर्णय मनमानी के किसी भी दोष से ग्रस्त हो। [630-एफ-जी]

दीवानी मूल/अपीलीय क्षेत्राधिकारः रिट याचिका (ग) 870/1986

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

सी.ए.क्रमांक 525/87 में डी.के. गर्ग याचिकाकर्ता/अपीलार्थी की ओर से

अश्विनी कुमार, आर.एस.सूरी, एस.सी.पटेल (एनपी) अपीलार्थी की ओर से डब्ल्यूपी नं. 870/86 और सी.ए. नं. 525/87 में अपीलार्थी।

न्यायालय का निर्णय एस.सी.अग्रवाल जे. द्वारा सुनाया गया

ये 'अपीलें और रिट याचिका, सहायक ग्रेड-II (संक्षिप्त में एजी-II) के संवर्ग में वरिष्ठता और सहायक ग्रेड-I (संक्षिप्त में एजी-I) के उच्च पदों पर पदोन्नति के और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में अधीक्षक के उच्च पदों पर पदोन्नति के' संबंध में सामान्य प्रश्न उठाती है।

आयोग में भर्ती और पदोन्नति एक निश्चित स्तर तक क्षेत्रीय आधार पर होती है और उसके बाद इसे केन्द्रीकृत किया जाता है। कार्मिक और प्रशासनिक (पी एंड ए) अनुशासन में सहायक ग्रेड-III (संक्षिप्त में एजी-III), एजी-II और एजी-I के पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति क्षेत्रीय आधार

पर और अधीक्षक और उससे उच्चतर पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति केन्द्रीय आधार पर की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एजी-III, एजी-II और एजी-I के संवर्ग में अलग-अलग वरिष्ठता थी, जबकि उच्च संवर्ग में अखिल भारतीय आधार पर थी। हम केन्द्रीय, पश्चिमी और मुख्यालय क्षेत्रियता के बारे में चिंतित हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में आयोग ने महसूस किया कि टेलेक्स ऑपरेटरों की आवश्यकता है और कर्मचारी जो एजी-III के रूप में कार्यरत थे, उन्हें टेलेक्स ऑपरेटरों के रूप में चुना गया। दिनांक 01 अप्रैल, 1969 से टेलेक्स ऑपरेटरों का एक अलग वरिष्ठता वाला संवर्ग बनाया गया। टेलेक्स ऑपरेटरों का वेतनमान पहले एजी-III की तुलना में अधिक था, लेकिन एजी-II की तुलना में कम था। दिनांक 01 अप्रैल, 1979 से टेलेक्स ऑपरेटरों के साथ-साथ एजी-II को 430-880 रु. के समान वेतनमान पर रखा गया था। टेलेक्स ऑपरेटरों के पास पदोन्नति की कोई प्रणाली नहीं थी। भर्ती और पदोन्नति विनियम, 1980 के तहत (इसके बाद इसे '1980 के विनियम' के रूप में कहा जाएगा) जो दिनांक 24 अप्रैल, 1980 को लागू हुआ, भर्ती और पदोन्नति विनियम, 1974 के तहत कई पदों के पदनाम बदल दिए गए। 1980 के विनियम में टेलेक्स ऑपरेटर का पद शामिल नहीं था। 1980 के विनियमों को लागू करने के लिए उचित स्तर पर नियुक्ति के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 2(22)/80-आरपी-I दिनांक 25 अप्रैल, 1980 (इसके बाद इसे 'कार्यकारी अनुदेश' कहा जाएगा) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अन्य संबंधित

मामलों में कार्यकारी निर्देश जारी किए गए थे। उक्त आदेश के पैराग्राफ 5 में अन्य विषयों में पैराग्राफ का उप-पैराग्राफ (iii) टेलेक्स ऑपरेटरों से संबंधित है और इसे इस प्रकार पढ़ा गयाः

"(iii) टेलेक्स ऑपरेटर - रू. 370-700 (रू. 430-880)

टेलेक्स ऑपरेटर की श्रेणी के सभी मौजूदा कर्मचारियों को रू. 370-700 (रू. 430-880) के वेतनमान में सहायक ग्रेड-II के रूप में पुनः नामित किया गया। रू. 360-640 के वेतनमान में कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल सेवा और रू. 370-700 (रू. 430-880) के वेतनमान में रू. 470-880 (रू. 530-1060) को पदोन्नति के उद्देश्य से गिना जाएगा।"

उक्त आदेश के पैराग्राफ-1 में सभी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सामान्य निर्देश दिए गए थे। पैराग्राफ-1 का उप-पैराग्राफ (viii) दो श्रेणियों में विलय के परिणामस्वरूप परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल थेः

"(viii) दो श्रेणियों के विलय के परिणामस्वरूप परस्पर वरिष्ठता का निर्धारणः

जहां आर एंड पी विनियम, 1980 के तहत दो या दो से अधिक श्रेणियों का विलय कर दिया गया, अगले उच्च

वेतनमान में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति के लिए विचार किए गए कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता संबंधित वेतनमान में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि के आधार पर तय की जाएगी। उच्चतर पूर्ववर्ती वेतनमान वाले लोगों को पूर्णरूप से निचले पूर्ववर्ती वेतनमाल वाले लोगों से वरिष्ठ माना जाता है। मौजूदा अंतरवर्ती वरिष्ठता में दखल नहीं डाला जाएगा।"

टेलेक्स ऑपरेटरों के संवर्ग के एजी-II के साथ विलय के परिणामस्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में टेलेक्स ऑपरेटरों को उक्त क्षेत्र में एजी-II के निचले स्तर पर रखा गया था। दिनांक 25 अप्रैल, 1980 को एक कार्यालय आदेश सं. 2/24/80-आरपी-I समयबद्ध आधार पर पदोन्नति का प्रावधान करने हेतु जारी किया गया था (इसके बाद इसे '12 वर्षीय नीति' कहा जाएगा) उक्त आदेश में कहा गया था कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कर्मचारियों के लिए, प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम दो पदोन्नति मिलेगी, यदि अन्यथा उपर्युक्त हो, और इसे प्रत्येक संवर्ग में 230-308(पुराना) (290-400 (संशोधित) से रू. 650-1200 तक उच्च पदों की संख्या यदि आवश्यक हो तो चयन ग्रेड के पैटर्न में अगले पदोन्नति चरण में संचालित की जाएगी और कर्मचारियों में रू. 370-700(पुराना) (रू. 430-880(संशोधित) का स्केल, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में 12 वर्ष की

सेवा पूरी कर ली है, वे रू. 470-880(पुराना) के स्केल पर पदोन्नति के लिए (530-1060 रूपए संशोधित) विचार हेतु पात्र होंगे और पदोन्नति के लिए उनकी योग्यता का आंकलन विभागीय पदोन्नति के आधार पर किया जायेगा। कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/80-औरपी-1 दिनांक 27 मई, 1982 में आयोग द्वारा एक नीति अपनाई गई जिसके तहत, एक बार के एक विशेष अपवाद में, सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जिन्होंने 1 अप्रेल, 1982 को वर्तमान ग्रेड में और तृतीय श्रेणी के ठीक नीचे वाले ग्रेड में कम से कम 18 साल की सेवा दी थी, उन्हें 1 अप्रैल, 1982 से पदोन्नति के लिए उचित डी.पी.सी. द्वारा पदोन्नति के उपयुक्त पदोन्नति पर विचार किया जायेगा, बशर्ते उन्होंने अपने वर्तमान ग्रेड में कम से कम तीन साल बिताये हो और आगे यह भी कहा कि उन्हें पहले पदोन्नति के लिए योग्यता के आधार पर नहीं हठाया गया हो। यह रियायत ऐसे तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के उद्देश्य से नहीं दी जानी थी जिन्हें पहले ही तृतीय श्रेणी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जा चुका था। यह पाया गया कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वे 27 मई, 1982 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों संख्या (i) और (ii) को पूरा नहीं करते थे, जबकि उनके कनिष्ठों को पदोन्नत कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने शर्तों को पूरा किया था। उन मानदंडों और, इसलिए, कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/80-आरपी-1 दिनांक 3 फरवरी, 1983 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए

विचार किया जाएगा। और यदि उपयुक्त पाया गया तो उन्हें प्रभावी ढंग से दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से पदोन्नत किया जाएगा। दिनांक 3 फरवरी, 1983 को एक अन्य कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/80-आरपी-1 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, एक विशेष एक बार के एक विशेष अपवाद के रूप में, सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जो 1 अप्रेल को, 1982, ने वर्तमान ग्रेड में पैरा III के ठीक नीचे के पदों में कम से कम 18 साल की सेवा की है, पदों के उपयुक्त पदोन्नति द्वारा उचित डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा और यदि वे इस तरह की पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तो पदोन्नति दिनांक 1 अप्रेल, 1982 से प्रभावी होगा। दिनांक 27 मई, 1982 और दिनांक 3 फरवरी, 1983 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को इसके बाद सामूहिक रूप से "18 साल की नीति" के रूप में जाना जाएगा। 12 साल की नीति के आधार पर केंद्रीय और मुख्यालय क्षेत्रों में टेलेक्स ऑपरेटरों को, जिन्हें मौजूदा कर्मचारियों के फिटमेंट के संबंध में कार्यकारी निर्देशों के परिणामस्वरूप एजी-II के संवर्ग में रखा गया था और जिन्होंने 12 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें एजी-I दिनांक 17 मई, 1980 से पदोन्नत किया गया था। इसके बाद, 18 साल की नीति के आधार पर, 18 साल की सेवा पूरी करने वाले टेलेक्स ऑपरेटरों को दिनांक 1 अप्रेल, 1982 से अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। नियमित कर्मचारी जो, एजी-II की देखरेख में, टेलेक्स ऑपरेटरों के संवर्ग के विलय से पहले एजी-II के रूप में कार्य कर रहे थे और जो टेलेक्स ऑपरेटरों से वरिष्ठ थे, उन्हें दिनांक 1 अप्रेल, 1982

से एजी-I के रूप में पदोन्नत किया गया था। चूंकि वे टेलेक्स ऑपरेटरों के वरिष्ठ थे, उन्हें पहले दिनांक 2 फरवरी, 1984 के आदेश द्वारा एजी-I के रूप में पदोन्नत किया गया था, केन्द्रीय और मुख्यालय क्षेत्रों में एजी-II संवर्ग के नियमित कर्मचारियों को भी उसी प्रभाव से एजी-I के रूप में पदोन्नत किया गया था। दिनांक (17 मई, 1980) जिस तारीख को उनसे कनिष्ठ टेलेक्स ऑपरेटरों को एजी-I के रूप में पदोन्नत किया गया था, यद्दपि एजी-II संवर्ग के उन नियमित कर्मचारियों के पास 12 साल की सेवा नहीं थी और वे निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं करते थे और पॉलिसी में एजी-II संवर्ग के वे नियमित कर्मचारी जिन्हें दिनांक 17 मई, 1980 से एजी-I के रूप में पदोन्नत किया गया था, उन्हें भी 18 साल की नीति का लाभ दिया गया और दिनांक 02 फरवरी, 1984 के आदेश द्वारा, दिनांक 1 अप्रेल, 1982 से अधीक्षक (पी एंड ए) के रूप में पदोन्नत किया गया क्योंकि टेलेक्स ऑपरेटर्स एजी-II के संवर्ग में उनसे कनिष्ठ थे उन्हें दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। एजी-II संवर्ग के नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति दिनांक 17 मई, 1980 से एजी-I के रूप में और दिनांक 01 अप्रैल, 1982 से अधीक्षक के रूप में इस कारण से पश्चिम क्षेत्र में नहीं की जा सकी क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में टेलेक्स ऑपरेटरों को एजी-I के रूप में पदोन्नति की पेशकश की गई थी, लेकिन स्वीकार नहीं की गई और एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों से कनिष्ठ किसी टेलेक्स ऑपरेटरों को दिनांक 01 अप्रैल, 1982 से पहले की तारीख से एजी-

। के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए पश्चिमी क्षेत्र में एजी-॥ में कोई भी नियमित कर्मचारी नहीं था और इसी कारण से उन्हें 01 अप्रैल, 1982 से अधीक्षक के पद के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सका। 1987 की सिविल अपील संख्या 527 में प्रतिवादी की संख्या 4 से 8 (बाद में याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) पश्चिमी क्षेत्र में एजी-॥ संवर्ग में नियमित कर्मचरी थे जिन्हें दिनांक 01 अप्रेल, 1982 से एजी-। के रूप में पदोन्नत किया गया था लेकिन दिनांक 17 मई 1980 से एजी-। के रूप में पदोन्नति नहीं मिली।

1 अप्रैल, 1982 से अधीक्षक के रूप में, जैसा कि केंद्रीय और मुख्यालय क्षेत्रों में एजी-॥ संवर्ग में नियमित कर्मचारियों को दिया गया था। चूंकि एजी-। के संवर्ग में वरिष्ठता का अधीक्षक के उच्च पद पर पदोन्नति पर प्रभाव पड़ता है, जो एक केंद्रीकृत संवर्ग है, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 17 मई, 1980 से एजी-। के रूप में अपनी गैर पदोन्नति से व्यथित होकर एक रिट याचिका (1984 विशेष सिविल आवेदन संख्या 4811) दायर की। गुजरात उच्च न्यायालय जहां उन्होंने परमादेश की प्रकृति में एक रिट की मांग की या आयोग को निर्देशित करने वाला कोई अन्य परमादेश, आदेश या निर्देश दिया जाये कि उन्हें दिनांक 17 मई 1980 से एजी-। के पद पर पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति दी जाए और दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से अधीक्षक के पद पर (पी एंड ए) उसी तर्ज पर जैसा कि केन्द्र के एजी-॥

पर लागू किया गया था जो केंद्रीय क्षेत्र/मुख्यालय क्षेत्र जिन्हें प्रारंभ में एजी-I के रूप में भी पदोन्नत किया गया था और वैकल्पिक रूप से उन्होंने दिनांक 2 फरवरी 1984 के आदेश, केंद्रीय क्षेत्र/मुख्यालय क्षेत्रों में एजी-II में नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु, को रद्द करने की प्रार्थना की और याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति को वरिष्ठता के सही सिद्धांत के अनुसार आवेदन द्वारा पदोन्नति में समायोजित किये जाने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को दिनांक 23 दिसंबर, 1985 को विवादित निर्णय के विरूद्ध अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने माना कि केंद्रीय व मुख्यालय क्षेत्रों में एजी-II में नियमित कर्मचारी को दी गई पदोन्नति विधि के अनुरूप नहीं थी लेकिन चूंकि जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना थी, उन्हें पक्षकारों के रूप में शामिल नही किया गया था, इसलिए राहत केवल उन पक्षकारों के खिलाफ ही दी जा सकती थी जो अभिलेख में शामिल थे। इसलिए उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के आदेश को रद्द कर दिया।

इसलिए उच्च न्यायालय ने 1987 की सिविल अपील संख्या 525 में रिट याचिका उत्तरदाताओं संख्या 09, 10, 12, 13 और 14 में उत्तरदाताओं संख्या 4,5,7,8 और 9 की पदोन्नति के आदेश को रद्द कर दिया।) हालांकि, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि उक्त उत्तरदाता एजी-II के रूप में अपनी मूल वरिष्ठता के आधार पर, यदि उपलब्ध हो तो, पदोन्नति

के हकदार होंगे। उच्च न्यायालय ने आयोग को दिनांक 25 अप्रैल 1980 को केंद्रीय और मुख्यालय क्षेत्रों के एजी-II संवर्ग में तत्कालीन नियमित कर्मचारियों को उनकी उच्च पदोन्नति के आधार पर, यानी वरिष्ठ होने के आधार पर आगे पदोन्नति देने से भी रोक दिया। टेलेक्स ऑपरेटरो को उस तिथि पर तब ही नियुक्त किया जाएगा जब वे सभी क्षेत्रों की एक समेकित सूची कानून के अनुसार तैयार नहीं हो जाती है और वे निर्णय में की गई टिप्पणियों के अवलोकन में पदोन्नति के लिए पात्र हो।

आर.के.सेठी और बी.पी. और्य मुख्यालय क्षेत्र में एजी-II के संवर्ग में नियमित कर्मचारी थे, उन्हें दिनांक 17 मई, 1980 से एजी-I के रूप में और अधीक्षक (पी एंड ए) के रूप में पदोन्नत किया गया दिनांक 01 अप्रेल, 1982 को क्रमशः उस क्षेत्र में टेलेक्स ऑपरेटरों को दी गई पदोन्नति के आधार पर। भले ही उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले से उनकी पदोन्नति रद्द नहीं की गई थी, लेकिन उक्त निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने 21 मई, 1986 को आदेश पारित कर 17 मई, 1980 से एजी-I के रूप में और दिनांक 01 अप्रेल, 1982 से अधीक्षक (पी एंड ए) के रूप में उनकी पदोन्नति को रद्द कर दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को चुनौती देने के लिए 1987 की सिविल अपील संख्या 525 दायर की। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका संख्या 870/1986 भी दायर की, जिसमें उन्होंने उक्त फैसले की सत्यता को

चुनौती दी और आयोग द्वारा पारित 21 मई, 1986 के आदेश को खारिज करने की प्रार्थना की। गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आयोग द्वारा सिविल अपील संख्या 527/1987 दायर की गई। उच्च न्यायालय में निम्नलिखित दो प्रश्न मामले के निपटारे के लिए उठाए-

> "1. टेलेक्स ऑपरेटरों की वरिष्ठता क्या होनी चाहिए जब वे पुनः पद परिवर्तन किये गये?
>
> 2. यदि टेलेक्स ऑपरेटरों को नियमित एजी-II से नीचे रखा जाता है, तो क्या केंद्रीय और मुख्यालय क्षेत्र में नियमित एजी-II को 12 साल और 18 साल की नीतियों के तहत पदोन्नति से याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?"

पहले प्रश्न से निपटते समय, उच्च न्यायालय ने कहा कि टेलेक्स ऑपरेटरों को मौजूदा नियमित कर्मचारियों से नीचे रखा गया, यह उनकी सेवा को पूरी तरह से खत्म करने के सामान होगा। उच्च न्यायालय ने ओएन.जी.सी. के अनुबंध II में निहित वरिष्ठता के सिद्धांतों पर विचार किया। (नियुक्ति और सेवा के नियम और शर्तें) विनियम, 1975 (इसके बाद 1975 विनियम के रूप में संदर्भित) विशेष रूप से उक्त सिद्धांतों के खंड बी और एच। उच्च न्यायालय ने माना है कि खंड एच को लागू नहीं किया जा सकता और टेलेक्स ऑपरेटरों को या तो एक अलग संवर्ग के रूप में जारी

रखा जाना चाहिए या खंड बी में निहित सिद्धांतों के अनुसार सेवा की अवधि के अनुसार मूल संवर्ग में विलय कर दिया जाना चाहिए।

दूसरे प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालय का विचार था कि केवल इसलिए कि टेलेक्स ऑपरेटरों को पदोन्नति नीति का लाभ मिला था, जो वैधानिक नियमों में छूट थी, यह नहीं कहा जा सकता जो व्यक्ति वरिष्ठता के आधार पर टेलेक्स ऑपरेटरो से उपर हैं। एजी-II के संवर्ग में भी समान लाभ मिल सकता है। उच्च न्यायालय के विचार में जो कर्मचारी 12 साल की नीति के योग्य है, उन्हें वैधानिक नियमों के तहत पदोन्नति के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है और उनकी वरिष्ठता उनकी मदद नहीं कर सकती है और यह केवल रिक्तियों के संबंध में ही उनकी मदद कर सकती है, जिसे नियमित पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। उच्च न्यायालय के अनुसार, ठहराव राहत के लिए 18 साल की नीति ऐसे व्यक्ति को उपलबध नहीं करायी जा सकती है जो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है और इस प्रकार की पदोन्नति नीति का सहारा लेकर आयोग ने याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिकूल त्रुटि की है जो एजी-II के संवर्ग में थे और अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के इच्छुक थे और उनके पास केन्द्रीय और मुख्यालय क्षेत्रों के नियमित कर्मचारियों की तुलना में लंबा अनुभव था। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि यदि पश्चिमी क्षेत्र में टेलेक्स ऑपरेटरों ने 12 साल की नीति और 18 साल की नीति के तहत लाभ देने से इंकार कर दिया तो

एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है और संयोगवश कुछ व्यक्तियों द्वारा पदोन्नति से इंकार करने की परिस्थिति, सही दावेदारों के रास्ते में नहीं आने चाहिए और यह कि यदि आयोग अन्य क्षेत्रों में एजी-II के नियमित कर्मचारियों के पदोन्नति देने का विचार रखता है, तो उसे पश्चिमी क्षेत्र के व्यक्तियों के मामले पर, इस आधार पर भी विचार करना चाहिए कि याचिकाकर्ता निचले संवर्ग में टेलेक्स ऑपरेटरों से वरिष्ठ थे और अन्य क्षेत्रों में उनके समकक्षों की तरह ही आगे पदोन्नति के हकदार थे।

इस स्तर पर हम 1975 के विनियमों के विनियम 19 के अनुसार निर्धारित वरिष्ठता के सिद्धांतों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैंः-

"वरिष्ठता के सिद्धांत"

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कर्मचारियों की वरिष्ठता को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगाः

बी. विभागीय पदौन्नतः

(i) x x x

(ii) x x x

(iii) जहां एक ग्रेड में पदोन्नति या तो एक से अधिक ग्रेड से या क्षेत्रीय परियोजना या निदेशालय के आधार पर विभिन्न संवर्गों में विभाजित एक ही ग्रेड से की जाती है वहां पात्र व्यक्तियों को उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में अलग-अलग सूचियों में संबंधित ग्रेड या संवर्ग में रखा जाएगा।

(ए) x x x x

(बी) यदि, हालांकि पदोन्नति वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर की जानी है यानी वरिष्ठता की अस्वीकृति, अयोग्यता के अधीन है तो विभागीय पदोन्नति समिति विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों को एक "समेकित वरिष्ठता सूची" में उस ग्रेड या संवर्ग में प्रदान की गई सेवा की कुल अवधि के आधार पर रखेगी और इस "समेकित सूची" के आधार पर पदोन्नति के लिए सिफारिशें करेगी। "समेकित सूची" में उम्मीदवारों की उनकी संबंधित सूचियों की पारस्परिक वरिष्ठता में कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी।

कर्मचारियों को एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में समावेशन करने पर वरिष्ठता का निर्धारण।

जिस संवर्ग से वे संबंधित है, उसके अलावा किसी अन्य संवर्ग में समावेशन कर्मचारियों की वरिष्ठता तय करते समय निर्धारित मानदंड को ध्यान में रखा जाएगाः

"(i) आयोग प्रशासनिक आधार पर कर्मचारियों को अस्थाई रूप से एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसे काम का स्थानांतरण, उपयुक्त पुरुषों की अनुपलब्धता।

(ii) ऐसे कर्मचारी मूल संवर्ग में अपना ग्रहणाधिकार और वरिष्ठता बरकरार रखेंगे और उन्हें उस संवर्ग में समावेशन होने का कोई अधिकार नहीं होगा जिसमें उन्हें अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया है।

(iii) यदि, एक बहुत ही विशेष मामले के रूप में उन्हें उस संवर्ग में समावेशन करने पर विचार किया जाना है जिसमें उन्हें अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया है तो उनकी वरिष्ठता केवल उस संवर्ग में उनके स्थानांतरण की तारीख से गिनी जाएगी जिसमें वे वास्तविक रूप से काम कर रहे हैं (समावेशन के समय पर विचार किया जाएगा) ताकि इन संवर्गों में पहले से ही भर्ती या पदोन्नत कर्मियों के अधिकार और वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े; यहां तक कि जिस

दिन अन्य संवर्गों के कर्मियों को स्थानांतरित किया जाए उस दिन इन संवर्गों में भर्ती और पदोन्नत किए गए सभी लोग अन्य संवर्गों से स्थानांतरित कर्मियों से वरिष्ठ रैंक के होंगे।"

आयोग की और से, श्री अश्विनी कुमार ने आग्रह किया कि कार्यकारी निर्देशों के पैराग्राफ 5(iii) के तहत फिटमेंट के परिणामस्वरूप टेलेक्स ऑपरेटरों के संवर्ग को एजी-II के मौजूदा संवर्ग में विलय कर दिया गया और टेलेक्स ऑपरेटरों की वरिष्ठता, वरिष्ठता के सिद्धांतों के खंड एच(iii) के साथ पढ़े गए कार्यकारी निर्देशों के पैराग्राफ 1(viii) के अनुसार तय की जानी थी। हमें इस विवाद में काफी दम नजर आता है। कार्यकारी निर्देशों के पैराग्राफ 5(iii) में निहित फिटमेंट नीति के परिणामस्वरूप टेलेक्स ऑपरेटरों के संवर्ग को एजी-II के संवर्ग में विलय कर दिया गया। अनुच्छेद 5(iii) में शब्द "पुनर्निर्धारण" को अनुच्छेद 1(viii) में निहित शब्दों "दो या दो से अधिक श्रेणियों का विलय कर दिया गया है" के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसका केवल यह अर्थ लगाया जा सकता है कि एेसे पुनर्निर्देशन के परिणामस्वरूप टेलेक्स ऑपरेटरों के संवर्ग का एजी-II संवर्ग में विलय हुआ। पैराग्राफ 5(iii) में कथन है कि कर्मचारियों द्वारा रुपये के वेतनमान में प्रदान की गई कुल सेवा 366-640 और रु. 370-700(रू. 430-880 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति के उद्देश्य से 470-880

(रु. 530-1060) गिना जाएगा। केवल उन टेलेक्स ऑपरेटरों को सक्षम बनाता है जिन्हें एजी-II के संवर्ग में विलय कर दिया गया ताकि वे पदोन्नति के उद्देश्य से टेलेक्स ऑपरेटर के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि का लाभ उठा सके। लेकिन एजी-II के संवर्ग में वरिष्ठता, पैराग्राफ 1(viii) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगी जो दो श्रेणियों के विलय के परिणामस्वरूप परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण के सिद्धांतों को निर्धारित करती है। पैराग्राफ 1(viii) में यह निर्दिष्ट किया गया कि अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति के लिए विचार किए गए कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता संबंधित वेतनमान में व्यक्ति द्वारा की गई सेवा की अवधि के आधार पर तय की जाएगी जो पूर्ववर्ती उच्चतर वेतनमान वाले हैं जिन्हें, निचले पूर्ववर्ती वेतनमान वालों एनब्लाॅक से वरिष्ठ माना जा रहा है। यह सिद्धांत 1975 विनियमों के विनियम 19 के तहत निर्धारित वरिष्ठता के सिद्धांतों के खंड एच (iii) में निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप है। उक्त प्रावधान कर्मचारियों को उस संवर्ग में समावेशन करने से संबंधित है जिसमें उन्हें अस्थाई रूप से स्थानांतरित किया गया और यह प्रावधान है कि उनकी वरिष्ठता की गणना केवल संवर्ग में उनके स्थानांतरण की तारीख से की जाएगी। टेलेक्स ऑपरेटर के संवर्ग का विलय टेलेक्स ऑपरेटरों को एजी-II के संवर्ग में स्थानांतरित करने और उक्त संवर्ग में उनके समावेशन के द्वारा किया गया था इसलिए, उनकी वरिष्ठता खंड एच(iii) के अनुसार निर्धारित की जाएगी। हम यह समझने में

असमर्थ है कि खंड बी(iii)(बी) को कैसे लागू किया जा सकता है। उक्त खंड विभागीय पदौन्नतियों के मामले में, वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है जहां एक ग्रेड में पदोन्नति या तो एक से अधिक ग्रेड से की जाती है या क्षेत्रीय परियोजना या निदेशालय के आधार पर विभिन्न संवर्गों में विभाजित एक ही ग्रेड की जाती है। एक ही क्षेत्र के भीतर एजी-II के मौजूदा संवर्ग में टेलेक्स ऑपरेटरों को एक से अधिक ग्रेड से या क्षेत्रीय, परियोजना या निदेशालय के आधार पर अलग-अलग संवर्ग में विभाजित एक ही ग्रेड से शामिल करने पर, कोई पदोन्नति नहीं दी गई।

उक्त प्रावधान क्षेत्रीय संवर्ग से केंद्रीकृत संवर्ग में अधीक्षक के पद पर एजी-I की पदोन्नति के मामले में लागू होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि दिनांक 01 अप्रैल, 1979 तक टेलेक्स ऑपरेटरों का वेतनमान एजी-II की तुलना में कम था और दिनांक 01 अप्रैल, 1979 से ही दोनों को एक ही वेतनमान पर रखा गया। कम वेतनमान में टेलेक्स ऑपरेटरों की पिछली सेवा की तुलना उच्च वेतनमान में एजी-I संवर्ग के नियमित कर्मचारियों की सेवा से नहीं की जा सकती इसलिए, एजी-II संवर्ग में टेलेक्स ऑपरेटरों के संवर्ग के विलय के समय टेलेक्स ऑपरेटरों को एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों से नीचे रखा गया था। हमारी राय में उच्च न्यायालय का अभिनिर्धारण सही नहीं था कि जब टेलेक्स ऑपरेटरों

को एजी-II के संवर्ग में लाया गया तो आयोग ने टेलेक्स ऑपरेटरों को एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों के नीचे रखने में कोई त्रुटि की थी।

एक बार यह मान लें कि दिनांक 25 अप्रैल, 1980 को एजी-II संवर्ग में उक्त संवर्ग के विलय के परिणामस्वरूप टेलेक्स ऑपरेटरों को एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों से नीचे रखा गया तो एजी-II संवर्ग के नियमित कर्मचारी जो टेलेक्स ऑपरेटरों से वरिष्ठ थे, उन्हें एजी-II के संवर्ग में ही रखे रखा गया, जबकि उनके कनिष्ठ को एजी-I के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था तो वे वास्तव में दुखी महसूस कर सकते थे। सेवा न्यायशास्त्र में "नीचे का अगला नियम" यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी को उसके वरिष्ठ पर विचार किए बिना पदोन्नति की जाती है तो वरिष्ठ कर्मचारी उस तारीख से ऐसी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार का दावा कर सकता है जिस दिन, कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया था। एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों को एजी-I के रूप में पदोन्नति का लाभ देने के लिए आयोग की कार्यवाही, इस सिद्धांत के अनुरूप होने के कारण, कि टेलेक्स ऑपरेटरों को 12 साल की नीति के आधार पर पदोन्नत किया गया और इसी तरह 18 साल की नीति के तहत एजी-I से अधीक्षक (पी एंड ए) के पद पर पदोन्नत किया गया, इसलिए इसे मनमाना या अनुचित नहीं माना जा सकता। हम उच्च न्यायालय के इस विचार का

समर्थन करने में असमर्थ हैं क्योंकि एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारी उन नीतियों में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते इसलिए उन्हें उक्त नीतियों का लाभ नहीं दिया जा सकता। उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि जब यह पाया गया कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार से बाहर कर दिया गया क्योंकि वे दिनांक 27 मई, 1982 के कार्यालय ज्ञापन में निहित 18 साल की सेवा के संबंध में शर्तों को पूरा नहीं करते थे तो आयोग ने दिनांक 3 फरवरी, 1983 को कार्यालय ज्ञापन जारी करके उक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित नीति के तहत यह निर्णय लिया कि ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा और यदि उपयुक्त पाया गया तो उन्हें इसके साथ पदोन्नत किया जाएगा

दिनांक 01 अप्रैल, 1982 से प्रभावी। 18 साल की नीति में उक्त संशोधन के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता कि एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे 18 साल की सेवा के मानदंड को पूरा नहीं करते।

हमें उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण की सराहना करना भी मुश्किल लगता है कि भले ही टेलेक्स ऑपरेटरों को एजी-I के रूप में पदोन्नति और पश्चिमी क्षेत्र में अधीक्षक के रूप में आगे पदोन्नति की पेशकश की गई थी, लेकिन एजी-II में नियमित कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाने से इनकार कर दिया था, याचिकाकर्ता सहित क्षेत्र में एजी-II संवर्ग

जो पश्चिमी क्षेत्र में उनसे वरिष्ठ थे, को इस तरह की पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उनके अधिकारों का हनन हुआ। पश्चिमी क्षेत्र में एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारी दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से पहले की तारीख से एजी-I के रूप में पदोन्नति का दावा तभी कर सकते थे जब उनके कनिष्ठ टेलेक्स ऑपरेटर को पहले की तारीख से एजी-I के रूप में पदोन्नत किया गया हो। चूंकि पश्चिमी क्षेत्र में एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों से कनिष्ठ किसी भी टेलेक्स ऑपरेटर को दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से पहले की तारीख से एजी-I के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता पहले की तारीख से प्रभावित होने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। एजी-I से अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के मामला में भी एेसा ही है, क्योंकि दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से पदोन्नति का अधिकार उन्हें तभी प्राप्त हो सकता था जब उस तारीख से उनके किसी कनिष्ठ टेलेक्स ऑपरेटर को इस तरह पदोन्नत किया गया हो। चूंकि पश्चिमी क्षेत्र में एजी-II संवर्ग में किसी भी टेलेक्स ऑपरेटर कनिष्ठ से नियमित कर्मचारी को इस तरह से पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को उक्त लाभ नहीं दिया जा सका। हम उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि यदि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 17 मई, 1980 से एजी-I के रूप में और दिनांक 1 अप्रैल, 1982 से अधीक्षक के रूप में पूर्वव्यापी पदोन्नति नहीं दी जा सकती, तो ऐसी पदोन्नति प्रदान करना केंद्रीय और

मुख्यालय क्षेत्रों में एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारियों के लिए भी विधि में अनुमत नहीं होगा। उक्त पदोन्नति केन्द्रीय और मुख्यालय क्षेत्रों में एजी-II संवर्ग के नियमित कर्मचारियों को दी गई थी, क्योंकि उन क्षेत्रों में उनके कनिष्ठ टेलेक्स ऑपरेटरों को पदोन्नत किया था। जैसा कि पहले जाहिर किया गया कि आयोग की उक्त कार्रवाई में कोई कमी नहीं थी।

इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वेंकटरमणि ने अपने तर्कों के दौरान कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में "अगले निचले नियम" के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था और कुछ टेलेक्स ऑपरेटरों ने जिन्होंने 12 साल की नीति के तहत पदोन्नति स्वीकार कर ली थी, उन्हें पदोन्नति दे दी गई, जबकि एजी-II संवर्ग में नियमित कर्मचारी जो उनसे वरिष्ठ थे, उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई जिस तारीख से ऐसे टेलेक्स ऑपरेटरो को पदोन्नत किया गया था। हालांकि, विद्वान अधिवक्ता की उक्त दलील का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था तो हमने दिनांक 10 दिसंबर, 1996 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से रामचंद तलरेजा द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 1997 को एक हलफनामा दायर किया गया। उक्त हलफनामें में कहा गया कि दिनांक 28 दिसंबर 1983 के आदेश के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र के टेलेक्स ऑपरेटरों को दिनांक 01 जनवरी, 1983 से एजी-I के रूप में

पदोन्नत किया गया था और पश्चिमी क्षेत्र के टेलेक्स ऑपरेटरों ने दिनांक 17 मई, 1980 से केन्द्रीय और मुख्यालय क्षेत्र में एजी-I के समकक्ष पदोन्नति की मांग को लेकर विवाद उठाया और सुलह की कार्यवाही विफलता में समाप्त हो गई और उसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में वर्ष 1996 की रिट याचिका संख्या 2353 दायर की, जो अभी भी लंबित है। इससे पता चलता है कि दिनांक 01 अप्रैल, 1982 से पहले पश्चिमी क्षेत्र में किसी भी टेलेक्स ऑपरेटर को एजी-I के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था और सवाल यह है कि क्या वे दिनांक 17 मई, 1980 से पदोन्नति के हकदार हैं, रिट याचिका संख्या 2353/1996 जो गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यदि पश्चिमी क्षेत्र के टेलेक्स ऑपरेटर अपनी रिट याचिका में सफल हो जाते हैं, जो गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित है और उन्हें दिनांक 17 मई, 1980 या दिनांक 01 अप्रैल, 1982 से पहले की तारीख से एजी-I के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ पश्चिमी क्षेत्र में एजी-II के अन्य नियमित कर्मचारी उसी तारीख से एजी-I के रूप में पदोन्नति का दावा कर सकते हैं और उस आधार पर वे उच्च पदों पर पदोन्नति का भी दावा कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि क्षेत्रों में कैडरों को एक एकीकृत संवर्ग में एकीकृत किया जाना चाहिए था और वरिष्ठता को एकीकृत संवर्ग में टेलेक्स ऑपरेटरों को सौंपा जाना चाहिए था और निर्देश

दिया था कि सभी क्षेत्रों और पदोन्नति की एक समेकित सूची तैयार की जाये और उसी आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि एजी-II संवर्ग को क्षेत्रीय संवर्ग से केन्द्रीकृत संवर्ग में परिवर्तित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता। यह निर्णय लेना आयोग का काम है कि प्रशासन में दक्षता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रशासनिक सेवाओं को कैसे व्यवस्थित किया जाये। आयोग ने निर्णय लिया था कि एजी-I तक का संवर्ग क्षेत्रीय स्तर पर बनाये रखा जाये। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आयोग का उक्त निर्णय मनमानेपन से ग्रस्त है। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय, क्षेत्रों में, कैडरों के एकीकरण और सभी क्षेत्रों में समेकित सूची तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकता।

उपर्युक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को बरकरार रखने में असमर्थ हैं और यह रद्द किये जाने योग्य है। इसी प्रकार, दिनांक 21 मई, 1986 को आयोग द्वारा पारित आदेश जो कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के आधार पर, सिविल अपील संख्या 525/1987 के आधार पर, अपीलकर्ताओं को दी गई पदोन्नति भी निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, सिविल अपील संख्या 525/1987 और 527/1987 को अनुमति दी जाती है, विशेष सिविल आवेदन संख्या 4811/1984 में

गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 23 दिसंबर, 1985 के फैसले को रद्द किया जाता है और उक्त विशेष सिविल आवेदन को खारिज किया जाता है। रिट याचिका संख्या 870/1986 को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 21 मई, 1986 के आदेश को रद्द किया जाता है। इन परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

एच.के. अपील और याचिका की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मनिता प्रकाश (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।